न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री ब्रजेश कुमार चान्दोलिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 16/2017

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1जगदीश पुत्र पूरणमल 2विष्णु कुमार पुत्र जगदीश जातियान राव निवासीगण पिपलिया तहसील रियांबडी जिला नागौर।		पटवारी लाडपुरा।

उपस्थिति :–

1. श्री अनिल गौड अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक:20.12.18

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उप तहसीलदार, भैरून्दा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 1/2017 सरकार बनाम जगदीश में निर्णय दिनांक 12.01.2017 के तहत मौजा पिपलिया के खसरा नं. 50 रकबा 5 बीघा गै.मु. बाला भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 07.02.2017 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 20.02.2017 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि –

{2}(I)–आदेश जैर अपील खिलाफ कानूनी, प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विरूद्व, तथ्यों व परिस्थितियों तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व रेकर्ड के विपरीत होने से खारिज होने योग्य है।

2}(II)–रेस्पोडेन्ट ने जिस प्रकार जगदीश को नोटिस ही नही दिया गया, मगर बेदखल के आदेश उसके विरूद्व पारित कर दिये गये, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.01.2017 शुरू से ही विधि विरूद्व होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है व अपीलांट जगदीश प्रसाद की हद तक तो यह निर्णय प्रभावहीन है। प्राकृतिक न्याय का यह सिद्वान्त है कि जिस व्यक्ति के विरूद्व किसी भी प्रकार का आदेश किसी भी न्यायालय द्वारा पारित किया जाता है, उससे पूर्व उस व्यक्ति को सुनवाई व जवाब व साक्ष्य का अवसर दिया जाना न्यायोचित है, मगर वर्तमान प्रकरण में किसी भी प्रकार से उक्त तथ्यों की पालना नही करते हुए आदेश जैर अपील पारित की है, जिससे निर्णय जैर अपील खारिज किया जाना न्यायोचित है।

{2}(III)–अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय अत्यन्त ही जल्दी एवं हडबडी रखते हुए निर्णय पारित किया है। क्योकि वर्तमान प्रकरण में न तो अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिया गया न ही जवाब हेतु अवसर दिया गया, मात्र जल्दबाजी पूर्वक अपीलांट को बेदखली करने के उद्देश्य से यह निर्णय जैर अपील पारित किया है, जिससे भी आदेश जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट जगदीश की पर्याप्त, सम्यक व संगत तामील के बगैर ही सरसरी तौर पर जल्दबाजी में अपीलांट को बगैर साक्ष्य, सबूत व सुनवाई का अवसर दिये ही निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो खारिज होने योग्य है।

{2}(V)–जब दिनांक 04.01.2017 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया था, तब आदेशिका में यह आदेश पारित कर दिया कि भू अभिलेख निरीक्षक आलनियावास में यह आदेश पारित कर दिया कि भू अभिलेख निरीक्षक आलनियावास को अतिक्रमण भूमि पर फसल को कुर्क कर नीलामी कर फर्द नीलामी स्वीकृति हेतु पेश करने हेतु आदेश जारी किया है, यह स्वतः ही अपने आप में विधि विरूद्व है, क्योंकि नोटिस जारी किये बिना व साक्ष्य सबूत व सुनवाई का अवसर दिये बिना फसल को कुर्क करने का आदेश पारित कर दिया गया, यह भी प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है।

{2}(VI)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट विष्णु को तामील के पश्चात् जब दिनांक 12.01.2017 को

अपर कलक्टर, नागौर

अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ, तो अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय को यह निवेदन किया था कि उसे साक्ष्य सबूत व सुनवाई व जवाब हेतु अवसर दिया जावे एवं अपीलांट ने अपनी उपस्थिति आदेशिका में दर्ज कर दी थी, मगर अपीलांट की उपस्थिति को स्वीकृति मान निर्णय जैर अपील पारित कर दिया, जो क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

{3}– राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट्स द्वारा मौजा पिपलिया में स्थित गै.मु. बाला भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट्स को नोटिस जारी किया गया। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. बाला है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से ऐसी भूमियों के खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट्स को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स का ग्राम पिपलिया का खसरा नं. 50 की 5 बीघा भूमि गै.मु. बाला पर अतिक्रमण मानते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट की सुनवाई की गई है तथा अपीलांट विष्णु अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित भी हुआ है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. बाला है। जो पानी का बहाव क्षेत्र होने से नियमन योग्य भी नही है तथा सार्वजनिक उपयोगी भी है। आदेश जैर अपील विधिसम्मत होने से इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर